झारखण्ड सरकार

बजट

2017–18

(मुख्य विशेषताएँ)

योजना-सह-वित्त विभाग

Planning-cum-Finance Department

बजट

2017–18

(मुख्य विशेषताएँ)

बजट 2017–18 की मुख्य विशेषताएँ

- वित्तीय वर्ष 2017–18 को ''गरीब कल्याण वर्ष'' के रूप में मनाया जाएगा और इस वर्ष का बजट एवं प्रमुख आर्थिक कार्यकलाप समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए समर्पित रहेगा।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट भाषण में की गईं कुल 172 घोषणाओं में 134 पूर्ण हो चुकी हैं तथा शेष 37 के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है।
- इस वर्ष विभिन्न माध्यमों से कुल 1,005 सुझाव प्राप्त हुए।
- आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 75,673.42 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट का आकलन है, जिसमें राजस्व व्यय 57,861.32 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय 17,812.10 करोड़ का है।

(करोड़ रुपये में)

बजट	2016–17 (BE)	2017–18 (BE)	वृद्धि
राजस्व व्यय	48,761.92	57,861.32	18.66 %
पूँजी व्यय	14,740.77	17,812.10	20.84 %
कुल	**63,502.69**	**75,673.42**	19.17 %

- विगत वित्तीय वर्ष के तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट की कुल वृद्धि 19.17% है।
- पूंजीगत व्यय में 20% से अधिक की वृद्धि है।

(करोड़ रुपये में)

प्रक्षेत्र	2016-17	2017-18
शिक्षा	9429.55	10517.64
ग्रामीण विकास, पंचायती राज सहित	8764.40	10473.70
पथ एवं भवन	4871.04	6101.22
ऊर्जा	2276.96	6000.00
कृषि एवं जल संसाधन	5109.16	5590.92
कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं अल्पसंख्यक कल्याण सहित	5227.80	5370.25
पुलिस एवं आपदा प्रबंधन	4402.46	4713.86
नगर विकास, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहित	3856.95	4551.82
स्वास्थ्य	3049.67	3105.97
राजकोषीय सेवाएँ	663.46	684.74
पेंशन	4789.67	5791.43
ब्याज	4180.43	4467.04
मूलधन की वापसी	2267.16	3282.17
अन्य	4613.98	5022.66
कुल	**63502.69**	**75673.42**

- शिक्षा प्रक्षेत्र में सबसे ज्यादा 10,517.64 करोड़ रुपये का उपबंध प्रस्तावित है, जो कुल वार्षिक बजट का 13.90% है। इसमें उच्च शिक्षा के लिए 1,167.10 करोड़ रुपये शामिल है।
- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास प्रक्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष में 145 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान को आगामी वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 704 करोड़ रुपये किया गया है।
- ग्रामीण प्रक्षेत्र में 10,473.70 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है, जो कुल वार्षिक बजट का 13.84% है। विगत वर्ष से 19.50% की बढ़ोत्तरी।
- कृषि, पशुपालन, सहकारिता, जल संसाधन तथा इससे सीधे जुड़ी मांगों के तहत कृषि एवं संबद्ध कार्यों को समेकित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में कृषि बजट 5,375.22 करोड़ रूपये का अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के 4,845.72 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित ''कृषि बजट'' में 12 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है।
- महिलाओं के विकास, विशेष रूप से सखी मण्डलों को सशक्त और जीवन्त संस्था के रूप में विकसित करने का निर्णय। सखी मण्डलों के माध्यम से राज्य में उपयोग किए जानेवाले अण्डा, सब्जी, दूध, चादर, तौलिया, स्कूली गणवेश, हस्तशिल्प, तसर एवं लाह पर आधारित उत्पादों को स्केल–अप करके उनका स्थानीय बाजार में विपणन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 7,684.51 करोड़ रूपये का ''जेन्डर बजट'' जो चालू वित्तीय वर्ष 5,908.99 करोड़ रूपये की तुलना में 30.05 प्रतिशत की वृद्धि है।
- ''अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट'' प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य में विकास से संबंधित विभिन्न स्कीमों, जिनमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं अनुसूचित जातियों के विकास का वर्गीकरण संभव है, के लिए कुल प्रावधानित राशि 43,020 करोड़ रुपये होती है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए 18,026 करोड़ रुपये (42 प्रतिशत) कर्णांकित है। यह चालू वित्तीय वर्ष में 17,107 करोड़ रुपये की तुलना में 919 करोड़ रुपये अधिक है। इसी तरह अनुसूचित जातियों के विकास के लिए वर्ष 2017–18 में 4,233 करोड़ रुपये (10 प्रतिशत) व्यय किए जाने का प्रस्ताव है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष में 3,520 करोड़ रुपये की तुलना में 713 करोड़ रुपये अधिक है। इस तरह अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 22,259 करोड़ रुपये होती है, जो स्कीमों के लिए निर्धारित कुल बजटीय का 51.5 प्रतिशत है।
- पहली बार ''मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी फंड'' के गठन हेतु 50 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना का भी प्रावधान।

- झारखण्ड राज्य के वीर सपूतों यथा बिरसा मुण्डा, सिद्धु–कान्हू एवं अन्य शहीदों के ग्रामों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने एवं उनके जन्म भूमि को विकसित करने हेतु 30 करोड़ रुपये राशि का बजटीय प्रावाधान।
- राज्य में पहली बार ''टाना भगत विकास प्राधिकार'' गठित किया जाएगा। इस हेतु 10 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
- राज्य में 24 X 7 निर्बाद्ध बिजली आपूर्त्ति के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में ऊर्जा प्रक्षेत्र में 6,000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। विगत वर्ष से 163.51% की बढ़ोत्तरी।
- आधारभूत संरचना यथा–सड़क, रेल, वायु सेवा, नगरीय विकास, पेयजल एवं स्वच्छता हेतु विशेष प्रावधान।
- राज्य के युवाओं के कल्याण एवं विकास के लिए ''युवा आयोग'' को क्रियाशील किया जाएगा।

1. कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास तथा संबद्ध प्रक्षेत्र

- देवघर, गुमला, गिरिडीह एवं राँची में शीत गृह निर्माण स्वीकृत। अगले वित्तीय वर्ष में इसे आवश्यकतानुसार अन्य 10 जिलों में भी शीघ्र प्रारम्भ किए जाने के लिए राशि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। शीत गृहों का संचालन स्थानीय लाभुक समितियों के द्वारा कराया जाएगा।
- 66 कृषि सिंगल विण्डो सेंटर स्थापित। आगामी दो वर्षो में क्रमवार सभी प्रखंड मुख्यालयों में कृषि सिंगल विण्डो सेंटर की स्थापना का लक्ष्य है। वर्ष 2017–18 में सौ नए कृषि सिंगल विण्डो सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव है।
- सभी लैम्पस/पैक्स में एक कार्यालय–सह–गोदाम का निर्माण प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त योजना हेतु 140 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।
- कृषि ऋण के भुगतान में अतिरिक्त तीन प्रतिशत इन्टरेस्ट सबभेन्सन। इन्टरेस्ट सबभेन्सन लागू होने पर कृषकों को एक प्रतिशत ब्याज का ऋण भार होगा। इस योजना के तहत 20 करोड़ रुपये की राशि की बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।
- ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण।
- संथाल परगना प्रमंडल हेतु गोड्डा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना।
- 19 अनुमंडल (जो जिला मुख्यालय में नहीं है) में अनुमंडल स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना।
- प्रत्येक पंचायत में किसान पाठशाला का आयोजन।
- पंचायत मुख्यालयों में कृषि उपकरण बैंक की स्थापना।
- कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु पचीस हजार कृषकों को सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु पम्प सेट उपलब्ध कराया जाना।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में दो हजार ऐसे तालाबों का गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार मशीन द्वारा किया जाना।
- जमशेदपुर एवं गिरिडीह में डेयरी प्लांट की योजना।
- वाणिज्यिक लेयर बर्ड तथा कम लागत लेयर बर्ड का वितरण।
- वेद व्यास आवास योजना के तहत मत्स्य पालकों के 3,000 अतिरिक्त इकाईयों आवास निर्माण की योजना।

- मत्स्य प्रक्षेत्र हेतु पुराने जलाशयों का जीर्णोद्धार।
- कनहर एवं सोन नदियों से पाईप लाईन के द्वारा पानी की आपूर्त्ति कर इस क्षेत्र के निर्मित जलाशयों, बड़े तालाबों एवं अन्य जल निकायों को पूर्ण जल उपलब्ध कराने की 984.19 करोड़ रुपये की योजना।
- प्रथम झारखण्ड सिंचाई आयोग का क्रियान्वयन।
- लघु सिंचाई प्रक्षेत्र की 45 अदद् योजनाओं का वर्ष 2017–18 में ERM कार्य प्रारम्भ कर अगले दो वित्तीय वर्षो तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। योजनाओं के ERM कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 310 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- लघु सिंचाई परिक्षेत्र अन्तर्गत 500 चेक डैम/श्रृखंलाबद्ध चेक डैम की प्रशासनिक स्वीकृति 341 करोड़ रुपये की कार्रवाई प्रक्रियाधीन।
- गैर–ऊर्जान्वित क्षेत्रों में कृषि सिंचाई के लिए सोलर पम्प आधारित पम्पिंग–सेट का वितरण।
- लघु सिंचाई परिक्षेत्र अन्तर्गत 1,834 पुरानी योजनाओं के जीर्णोद्धार की रूपरेखा (Profile) तैयार।

2. ग्रामीण विकास

- मनरेगा में दिसम्बर, 2016 तक 519 लाख मानव दिवस सृजन किये गये हैं, जो किसी भी वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों में सृजित किया गया सर्वाधिक मानव दिवस है।
- मनरेगा से आगामी वर्ष में चार लाख डोभे और निर्मित कराये जाने का लक्ष्य।
- ग्रामीण संगठनों को पंचायत भवनों में कमरा उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत 1.58 लाख अतिरिक्त आवास निर्मित कराये जाएंगे।
- विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए ''जोहार'' नाम की परियोजना का गठन।
- ग्रामीण पथों के अनुरक्षण तथा जीर्णोद्धार हेतु 325 करोड़ रूपये।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से 6,000 कि०मी० पथों का निर्माण करा कर 4,100 बसावटों को जोड़ा जाएगा, जबकि राज्य संपोषित योजना के माध्यम से लगभग 2,000 कि०मी० नये ग्रामीण पथ निर्मित कराये जाएंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 150 लम्बे पुलों का निर्माण कराया जाएगा।

3. महिला सशक्तिकरण

- महिलाओं के सशक्तिकरण, सामाजिक–आर्थिक विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में सखी मण्डल महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। सखी मण्डल के संकुल स्तरीय संगठनों के आगामी वित्तीय वर्ष में क्षमतावर्द्धन का प्रस्ताव है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम का विस्तार 200 प्रखण्डों तक आच्छादन कर 1,21,000 सखी मण्डलों, 6,000 ग्राम संगठनों एवं 320 संकुल स्तरीय संगठनों का गठन किया जाएगा।
- 4 लाख परिवारों को विभिन्न रोजगारमूलक गतिविधियों यथा–सब्जी उत्पादन, लाह उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, लघु कुटीर उद्योग इत्यादि से जोड़ा जाएगा।
- राज्य के सभी प्रखण्डों में सखी मण्डलों को समान दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- एक लाख सखी मंडलों को एक–एक स्मार्ट फोन वितरित करने का प्रस्ताव।
- 5,000 बी०पी०एल० महिलाओं को 90 प्रतिशत अनुदान पर दुधारू गाय वितरण किया जाना।
- सखी मण्डलों के संकुल स्तरीय संगठनों के अपने परिसर निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये की स्कीम।
- प्रत्येक प्रखण्ड में कम–से–कम एक पालना घर का संचालन।
- सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में LPG कनेक्सन तथा चूल्हा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रत्येक संकुल स्तर के सखी मण्डलों को LPG कनेक्सन तथा चूल्हा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- सुदूर क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु एक नई योजना "विश्वविद्यालय बस सेवा" प्रारम्भ।
- मानव तस्करी की शिकार महिलाओं के कल्याणार्थ केन्द्र सरकार की योजना ''उज्जवला'' राज्य में प्रारम्भ की जाएगी।
- दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, देवघर, चाईबासा एवं पलामू में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा।
- दिव्यांगों की सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान एवं सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति तथा अल्पसंख्यकों का समग्र विकास

- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं को बैंकों के माध्यम से सुगमता पूर्वक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने हेतु राज्य में पहली बार 50 करोड़ रुपये राशि का ''मुख्यमंत्री शिक्षा ऋण गारंटी फंड'' का गठन किया जाएगा।
- झारखण्ड राज्य के वीर सपूतों यथा बिरसा मुण्डा, सिद्धु–कान्हू एवं अन्य शहीदों के ग्रामों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने एवं उनके जन्म भूमि को विकसित करने हेतु 30 करोड़ रुपये राशि का बजटीय प्रावधान।
- राज्य में पहली बार ''टाना भगत विकास प्राधिकार'' गठित किया जाएगा। इस हेतु 10 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
- सरना–मसना घेराबंदी योजना मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजटीय प्रावधान में (कुल 44 करोड़ रुपये की राशि) दोगुनी राशि की वृद्धि की गयी है। योजना निर्माण के कार्यान्वयन में परम्परागत प्रधान, मानकी मुण्डा एवं मांझी की अध्यक्षता में गठित सरना–मसना समिति ही योजना का कार्यान्वयन करे।
- आदिम जनजाति परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न पैकेट में उनके घर के दरवाजे पर उपलब्ध कराये जाने हेतु पी०टी०जी० ''डाकिया योजना'' के नाम से बजट में प्रावधान।
- मासिक सम्मान राशि में वृद्धि करते हुए मानकी को सम्मान राशि 3,000/– रुपये, मुण्डा को 2,000/– रुपये, ग्राम प्रधान को 2,000/– रुपये तथा डाकुआ को 1,000/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा।
- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले लाभों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में दोगुनी राशि का प्रावधान।
- राज्य के हज यात्रियों की सुविधा के लिए राँची में 65.70 करोड़ की लागत से हज हाउस निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। राँची के डोरण्डा में मुसाफिर खाना के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

5. शिक्षा, शैक्षणिक गुणवत्ता एवं कौशल विकास

- विगत् एक वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा GER (Gross Enrolment Ratio) 98.09 से बढ़कर 100.09 हो गया है। भारत के शैक्षिक मानचित्र पर झारखण्ड के सम्मानपूर्ण स्थान हेतु लगातार प्रयास।
- उच्च विद्यालयों में 17,790 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन पत्र प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया गया है। साथ ही, +2 विद्यालयों हेतु भी 513 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु भी विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है।
- 189 उच्च विद्यालयों में 2,079 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद तथा 280 +2 विद्यालयों में 3,080 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद सृजित किये जायेंगे। साथ ही, 3,583 प्रारम्भिक विद्यालयों में 10,749 शिक्षकों के पद सृजित किये जायेंगे।
- विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं हेतु प्रत्येक विद्यालय को बेंच–डेस्क की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। आगामी 2 वर्षों में सभी विद्यालयों में बिजली की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।
- नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट/इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग की तर्ज पर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, कोल्हान प्रमण्डल एंव संथाल परगना प्रमण्डल में एक–एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय को +2 विद्यालय में उत्क्रमण किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की तर्ज पर छात्र–छात्राओं को राज्य के बाहर शैक्षणिक भ्रमण कराने की योजना है, जिसे ''मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना'' कहा जाएगा।
- मध्याह्न भोजन योजना हेतु प्रत्येक विद्यालय में एल०पी०जी० गैस की व्यवस्था की जा रही है।
- चरणबद्ध तरीके से आगामी तीन वर्षों में सभी पंचायतों में ग्रामीण पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी।
- कक्षा–1 से कक्षा–5 तक की अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा–1 एवं कक्षा–2 के लिये 5 जनजातीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार कर छात्र–छात्राओं में वितरित की गयी हैं। कक्षा–6 से कक्षा–8 तक की अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा बंगला एवं उड़िया भाषा में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की योजना।

- आकांक्षा कार्यक्रम के तहत बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था के साथ–साथ कैरियर काउन्सलिंग भी कराया जा रहा है। अभी तक यह कार्यक्रम कक्षा–11 एवं कक्षा–12 के छात्र–छात्राओं हेतु लागू है। आगामी वित्तीय वर्ष से इसे कक्षा–9 तथा कक्षा–10 में लागू करने की योजना है।
- विद्यालयों के Real Time Monitoring तथा बच्चों के Learning Level की Tracking हेतु "ई. विद्यावाहिनी" कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक सरकारी विद्यालयों को एक–एक टेबलेट दिया जायेगा।

6. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

- कोयलाचंल क्षेत्र के चिर–परिचित मांग को देखते हुए बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना आगामी वित्तीय वर्ष में की जाएगी। राँची महाविद्यालय को उत्क्रमित कर विश्वविद्यालय बनाने एवं पुनः तीन नये निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु भी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, भारत सरकार से स्वीकृति के उपरान्त इसे प्रारम्भ किया जाएगा। मध्यप्रदेश (अमर कंटक) में स्थापित इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर झारखण्ड में वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।
- तकनीकी क्षेत्र में बोकारो, राँची, देवघर जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 06 पोलिटेनिक कॉलेज का निर्माण किया जाएगा।
- 13 जिलों में बहुउद्देशीय परीक्षा केन्द्र की स्वीकृति।
- सुदूर क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु एक नई योजना "विश्वविद्यालय बस सेवा" प्रारम्भ।
- मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई तथा शोध कार्य हेतु एक नई योजना "मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना" का शुभारम्भ।
- राँची विश्वविद्यालय, राँची में Performing Arts and Archaeology विषय की पढ़ाई सत्र 2017–18 से प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जाएगी।
- अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवक–युवतियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
- सभी जिले में चरणबद्ध तरीके से Mega Skill Center तथा Community Vehicle Training Center की स्थापना की जाएगी। चरणबद्ध तरीके से सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जायेगा।
- तकनीकी एवं कौशल विकास प्रक्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष में 145 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के विरूद्ध आगामी वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 704 करोड़ रुपये किया गया है।

7. स्वस्थ झारखण्ड

- देवघर में एम्स की स्थापना की स्वीकृति।
- राज्य में नर्सिंग की कमी को दूर करने के लिए लातेहार, लोहरदगा, देवघर, पाकुड़, कोडरमा में ए०एन०एम० स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव।
- पारा मेडिकल कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए सभी प्रमण्डल मुख्यालय में फार्मेसी संस्थान खोलने की कार्रवाई प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को भारत सरकार की योजना के साथ एकीकृत करते हुए क्रियान्वयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इस बीमा योजना में परिवार के बच्चे भी सम्मिलित होंगे।
- तीन मेडिकल कॉलेज यथा–दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में वर्त्तमान सदर अस्पतालों को 200 बेड में उत्क्रमित करते हुए स्वीकृति दी गई है, जिसे कालान्तर में 500 बेड वाला प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के साथ संबद्ध किया जायेगा।
- तीनों मेडिकल कॉलेजों के निर्माण हेतु निविदाकार का चयन कार्यकारी एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के द्वारा कर लिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा।
- पश्चिम सिंहभूम जिला के चाईबासा एवं बोकारो जिला में 500 बेडेड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण प्रस्तावित है।
- 05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 50 स्वास्थ्य उपकेन्द्र को मॉडल केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेद्पुर के परिसर में 500 बेडेड अस्पताल का भवन निर्माण।
- सभी जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेन्टर स्थापित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। ट्रॉमा सेन्टर की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय उच्च पथ–2, 33 एवं 143 में तीन स्थानों पर ट्रॉमा सेन्टर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

8. आधारभूत संरचना का विकास
ऊर्जा

- 68 लाख परिवारों में से मात्र 38 लाख परिवारों को ही अब तक विद्युत आपूर्त्ति से सम्बद्ध किया गया है। सभी घरों को बिजली का कनेक्शन एवं 24x7 स्तर पर विद्युत आपूर्त्ति के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है।
- 11वीं, 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में से छूटे हुए 968 गाँवों को इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक बिजली से संबद्ध करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर जारी है। लगभग 3,600 करोड़ रूपये की लागत पर विद्युतीकृत गांवों में छूटे हुए टोले और मुहल्लों को भी विद्युत आपूर्त्ति से जोड़ना। बचे हुए शेष सभी गांवों, टोलों एवं परिवारों को 5,100 करोड़ रूपये के खर्च पर अलग से एक ''सम्पूर्ण झारखण्ड बिजली आच्छादन योजना'' प्रारम्भ कर रही है, जिससे राज्य के सभी छूटे परिवारों को अगले दो वर्षों में बिजली से आच्छादित किया जाए।
- लगभग 165 पावर सब स्टेशन का निर्माण, 1,43,943 वितरण ट्रांस्फार्मर की स्थापना एवं 59,786 कि०मी० लम्बे तार बिछाए जायेंगे।
- लगभग 18 हजार किलोमीटर संचरण लाईन के विरूद्ध मात्र 3,500 किलोमीटर लंबी लाईन उपलब्ध है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले तीन वर्षों में संचरण इन्फ्रास्ट्रक्चर की दो–तिहाई कमी को राज्य संसाधन, वित्तीय संस्थानों एवं पी०पी०पी० के माध्यम से पूर्णतया आच्छादित कर लिया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों के पुराने पावर सब स्टेशन, ट्रांस्फार्मर एवं जीर्णशीर्ण तारों के बिछाव का सुदृढ़ीकरण कराना। आई०पी०डी०एस० योजना में लगभग 731.73 करोड़ रूपये की लागत से 40 अन्य शहरों के विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ करने की योजना पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ होगा। कुल 49 नए पावर सब स्टेशन का निर्माण, 103 पावर ट्रांस्फार्मर का क्षमता का विस्तारीकरण एवं लगभग 168 कि०मी० अण्डर ग्राउण्ड केबलिंग की जाएगी।
- 9 जिलों यथा खूँटी, सिमडेगा, सरायकेला–खरसावां, चतरा गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, लोहरदगा एवं लातेहार में नए ट्रांस्फार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप एवं केन्द्रीय भण्डारण की स्थापना की जायेगी।

- अपारम्परिक ऊर्जा माध्यमों को विकसित करने के लिए अगले डेढ़ से दो वर्षों में लगभग 900 मेगावाट क्षमता की नई इकाईयाँ स्थापित होंगी। इसके अतिरिक्त ग्रिड कनेक्टेट रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट को सरकारी भवनों के ऊपर अधिष्ठापित करने के कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा।

- निजी अवासीय एवं गैर अवासीय भवनों पर भी ग्रिड कनेक्टेट रूफ टॉप सोलर पावर प्लान्ट अधिष्ठापन कार्य को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जल श्रोतों पर आधारित 125 मेगावाट क्षमता की हाईडल प्रोजेक्ट को भी निजी निवेशकों के माध्यम से निर्माण कराने हेतु निविदा आमंत्रित है।

पथ निर्माण

- अन्तर्राज्यीय महत्व, पर्यटन के महत्व, औद्यौगिक विकास के महत्व अर्न्तजिला एवं जिले के महत्वपूर्ण पथों के विकास का लक्ष्य है। लगभग 1,000 कि०मी० पथों एवं 40 वृहद् पुल के निर्माण।

- पूर्वोत्तर राज्यों से सीधे संपर्क हेतु वाह्य सम्पोषित योजना अन्तर्गत एशियन विकास बैंक (ADB) के ऋण से गोविन्दपुर–जामताड़ा–दुमका बरहेट–साहेबगंज पथ का उन्नयन पुर्नरूद्धार, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण बाईपास सहित दो लेन मानक पथ का निर्माण लगभग समाप्ति पर है।

- राँची–बोकारो एवं धनबाद को जोड़ने हेतु एक्सप्रेस वे (Expressway) का निर्माण। Industrial Corridor स्थापित करने के लिए राँची, धनबाद एवं जमशेदपुर को 6 लेन एक्सप्रेस वे निर्मित कर गोल्डन ट्रैंगल (Golden Triangle) स्थापित करने का प्रस्ताव।

- धनबाद शहर के यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के उद्देश्य से बैंक मोड़ चौक के आसपास रेलवे के साथ मिलकर एक फ्लाईओवर (आर०ओ०बी०) निर्माण।

- अगले तीन वर्षों में राज्य के महत्वपूर्ण जिलों के बाईपासों का निर्माण का भी कार्यक्रम है। इसमें देवघर, गिरिडीह, खूंटी, चाईबासा, लोहरदगा, गोड्डा एवं पाकुड़ के बाईपास के निर्माण हेतु डी०पी०आर० तैयार कराया गया है एवं भू–अर्जन की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी।

- शहरी क्षेत्रों की प्रमुख सड़कों का निर्माण, Traffic density के आलोक में, पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा।

- गोड्डा एवं हंसडीहा रेलमार्ग परियोजना हंसडीहा–जसीडीह एवं गोड्डा–पीरपैती तक

विस्तारित करने के उपरांत ही वास्तव में पूर्ण उपयोगी होगी। भारतीय रेल 97.17 कि०मी० की लम्बाई पर रेल लाईन बिछाने पर अपनी सहमति प्रदान की है तथा कुल लागत राशि 2,100 करोड़ है।

- Regional Connectivity Scheme के तहत राज्य के कई शहर व्यवसायिक वायुसेवा से जुड़ सकेंगे।
- एच०ई०सी० एरिया में विस्थापित हुए परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु 54.8 एकड़ भूमि पर 400 परिवारों हेतु आवासीय इकाई के लिए 216.63 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। कार्य योजना के अनुसार जनवरी, 2019 तक इस योजना का पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

नगरीय विकास, पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता

- दो शहरों (जमशेदपुर एवं धनबाद) के सिटी डेवलेपमेंट प्लान के पुनरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, 10 बड़े शहरों का सिटी डेवलेपमेंट प्लान तैयार करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है। 6 शहरों का 'कॉम्प्रिहेन्सीव मोबिलिटी प्लान' तैयार कर लिया गया है।
- अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्त्तन मिशन (अमृत) योजना के अंतर्गत एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य के सात शहरों यथा–राँची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग एवं गिरिडीह का चयन किया गया है।
- शहरी क्षेत्रों में 2019 तक पेयजलापूर्त्ति योजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य। चास, देवघर (जोन–I एवं II), जुगसलाई, झुमरीतिलैया, चतरा, मिहिजाम, जामताड़ा में फेज–1 जलापूर्ति योजना पूर्ण हो चुकी है। बुण्डू, राँची (मिसिंग लिंक–I एवं II), चिरकुण्डा, मानगो, गढ़वा, सरायकेला एवं गोड्डा में क्रियान्वित जलापूर्त्ति योजना को पूर्ण किया जाएगा।
- खूँटी, बासुकीनाथ एवं सिमडेगा में जलापूर्ति योजना वर्ल्ड बैंक द्वारा प्राथमिकता के तौर पर लिया गया है।
- जमशेदपुर में नवजीवन कुष्ट आश्रम के निर्माण एवं देवघर के कालीरेखा कुष्ट आश्रम के निर्माण।
- राँची शहर के यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु लगभग 3,056 करोड़ रुपये की लागत से पाँच प्रमुख पथों का विकास एवं लगभग 522 करोड़ रुपये की लागत पर दो प्रमुख चौराहों यथा–रातु रोड चौक एवं कांटाटोली चौक पर फ्लाई ओवर निर्माण।

- राँची में लाईट मेट्रोरेल परियोजना हेतु डी०पी०आर० तैयार किया जा रहा है। राँची में दो फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के लिए 2,31,018 व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 4 निकायों यथा–चास, बुण्डू, खूँटी एवं लोहरदगा को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है।
- राज्य के शहरी क्षेत्रों में निकायों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 70,000 शहरी लाभुकों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना। वित्तीय वर्ष 2019–20 तक 1,80,000 शहरी गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना लक्षित है।
- 28 नगर निकायों में 23,800 street vendors का प्रारंभिक दौर में सर्वेक्षण किया जा चुका है। साथ ही, 28 नगर निकायों में टाउन वेंडिंग समिति का गठन झारखण्ड पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2015 के अनुरूप प्रक्रियाधीन है। उक्त टाउन वेंडिंग समिति का दिनांक–30 जनवरी, 2017 तक विधिवत गठन कर लिया जाएगा।
- Street Vendors को व्यवस्थित रूप से शहर में विक्रय स्थल की व्यवस्था करने हेतु अबतक कुल 77 वेंडिंग जोन हेतु कुल 64.77 एकड़ जमीन चिन्हित किया जा चुका है।
- साफ–सफाई हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य की शुरूआत।
- 10 लाख तक जनसंख्या वाले शहरों एवं अमृत योजना वाले शहरों में सिवरेज, ड्रेनेज, SWM, Water Supply आदि परियोजनाएँ कार्यान्वित की जाएगी।
- झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा स्मार्ट कॉलोनी का निर्माण कराये जाने के उद्देश्य से प्रारंभ में पांच जिलों यथा–राँची, जमशेद्पुर, धनबाद, बोकारो और देवघर का चयन किया गया है।
- स्मार्ट कॉलोनी में विद्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, खेल मैदान, पार्क, अस्पताल, बैंक और सामुदायिक भवन आदि उपलब्ध कराये जाने के क्रम में बरियातु में 10 एकड़, सरायकेला–खरसावाँ जिले के कुलुपटंगा में 10 एकड़ जमीन पर EOI/RFQ का कार्य चल रहा है। साथ ही, बोकारो जिले में 10 एकड़, देवघर जिले में 12 एकड़ जमीन का चयन हो चुका है एवं हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।
- गत् वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में पाईप जलापूर्त्ति से आच्छादन लगभग 15 प्रतिशत बढ़ा है और वर्त्तमान में 27 प्रतिशत आबादी को पाईप जलापूर्त्ति से आच्छादित हो सकी है।
- डी०एम०एफ०टी० अन्तर्गत 53 वृहद्ध तथा 834 लघु पेयजलापूर्त्ति योजनाओं को 1,072.67 करोड़ की लागत से प्रारंभ की गई है। लगभग 1,100 करोड़ की राशि से 50 और नई वृहद्

जलापूर्त्ति योजनाओं को प्रारंभ किया जाएगा, जिससे वर्ष 2019—20 तक राज्य की 50 प्रतिशत जनता को पाईप वाटर के माध्यम पेयजल की आपूर्त्ति करने का लक्ष्य।

- स्वच्छता अधिष्ठापन के क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक दो जिलों को पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में दस जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाएगा।
- राजमार्ग के यात्रियों की सुविधा हेतु राजमार्गों के किनारे पेट्रोल पम्प, ढाबे आदि स्थानों पर शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण हाट, प्रखण्ड मुख्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी सामुदायिक शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष 2017—18 में 8.50 लाख निजी आवासों में शौचालयों का निर्माण भी कराया जाएगा।

9. औद्योगिक विकास

- श्रम सुधारों में झारखण्ड राज्य को लगातार दूसरी वर्ष भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- राज्य में नई औद्योगिक एवं पूँजी निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर दी गई है।
- आगामी 16–17 फरवरी, 2017 को राज्य में ग्लोबल इन्भेस्टर्स सम्मिट का आयोजन।
- राज्य में रोजगार सृजन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनसे युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा–से–ज्यादा अवसर उत्पन्न हों, उदाहरणस्वरूप–टेक्सटाईल, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वनजनित उत्पाद आधारित उद्योग, IT, तथा IT आधारित उद्योग।
- राज्य में कुटीर, सूक्ष्म एवं परम्परागत उद्योगों के विकास हेतु ''मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड''का गठन।
- Goods एवं Service Tax लागू करने में सभी Stakeholders, चार्टेड एकाउन्टेड, वाणिज्यकर अधिवक्ता, Federation of Jharkhand Chamber of Commerce & Industries, व्यवसायी संघ, लघु उद्योग संघ आदि के सहयोग से GST Advisory Committee बनायी जायेगी।

10. राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण

- ''झारखण्ड कला अकादमी'' का गठन। ''झारखण्ड कला मंदिर (राँची एवं दुमका), राजकीय छऊ नृत्य कला केन्द्र (सरायकेला), राजकीय मानभूम छऊ नृत्य कला केन्द्र (सिल्ली), आर्ट गैलरी (ऑड्रे हाउस) को अनुदान के रूप में संवर्द्धन राशि मुहैय्या किये जाने हेतु बजट में प्रावधान।
- लगभग 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के विकास हेतु ''क्षेत्रीय जनजातीय भाषा एवं सांस्कृतिक पुनर्रूथान केन्द्र'' की स्थापना। चाईबासा में हो भाषा के लिए तथा गुमला में कुडुख भाषा के लिए परिषद् का कार्य प्रारम्भ।
- देवघर में रविन्द्र भवन प्रेक्षागृह–सह–सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण।
- साहेबगंज जिले के मण्डरों वन प्रक्षेत्र में मौजा–गुरमी पहाड़, बास्कोबेड़ों, ताड़ा और मंगलमेरों को जिओलॉजिकल हेरिटेज साईट के रूप में विकसित करना
- राज्य के वयोवृद्ध लोगों के लिए ''मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन'' योजना को आगामी वर्ष में जारी रखा जाएगा।
- राज्य के युवाओं के कल्याण एवं विकास के लिए ''युवा आयोग'' को क्रियाशील किया जाएगा।

11. विधि व्यवस्था

- उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में 40% से अधिक की कमी। अति–उग्रवाद ग्रसित क्षेत्रों को चिन्हित कर सुरक्षा तथा विकास हेतु 13 क्षेत्रों में फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत विकसित किया जाएगा।
- बेरोजगार 2,500 ग्रामीण युवक/युवतियों को सहायक पुलिस के रूप में वर्ष 2017–18 में नियुक्त कर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सरकार एवं जनता के बीच समन्वय स्थापित किया जायेगा।
- राँची में CCTV परियोजना की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा जमशेदपुर एवं देवघर को आगामी वर्ष CCTV सर्विलान्स में शामिल किया जाएगा।
- जनता–पुलिस के बीच की दूरी को कम करने के लिए राँची से प्रारम्भ ''पुलिस आपके द्वार'' कार्यक्रम को राज्य के अन्य शहरों में भी विस्तारित किया जाएगा।
- भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन संबंधी समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु राँची में डिफेंस पेंशन डिसबर्समेन्ट कार्यालय (DPDO) स्थापित करने की योजना। साथ ही, दो करोड़ की लागत से निदेशालय कार्यालय–सह–विश्रामगृह का निर्माण करने की भी योजना।
- पुलिस बहाली में महिलाओं को 33% आरक्षण देते हुए महिलाओं एवं विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों में बालिकाओं के लिए शक्ति ऐप शुरूआत की गयी है एवं इसके तहत शक्ति कमाण्डों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। पीड़ित महिला/व्यक्ति को स्थल से ही तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसी वर्ष DIAL-100 योजना चालू की जायेगी।
- राज्य के सभी जिलों को भी नागरिक सुरक्षा जिला घोषित कर दिया गया है तथा प्रत्येक जिले में 100–100 सदस्यों वाली नागरिक सुरक्षा स्वंयसेवकों का गठन किया गया है।
- राँची, जमशेद्पुर एवं धनबाद में अग्निशमन के लिए एक–एक अदद् हाईड्रोलिक प्लेटफार्म की तथा आपातकालीन स्थिति में बचाव हेतु 3 हैण्ड हेल्ड फोरसिबल इंट्री टूल एवं 6 वाटर मिस्ट मोटर साईकिल इत्यादि से संसाधनों में वृद्धि की जायेगी।
- पुलिस कर्मियों के कठिन परिस्थितियों में कर्त्तव्यों के निर्वहन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सैद्धान्तिक सहमति दी है कि उन्हें इसके एवज में वर्ष में एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय भुगतान किया जाय। यह मानदेय भुगतान किस श्रेणी के अराजपत्रित कर्मियों/कार्यालयों को अनुमान्य होगा, इसके बारे में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसकी अनुशंसा पर आगामी वित्तीय वर्ष में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।

12. प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधार

- पंचायतों को अधिक कार्यशील बनाने के उद्देश्य से पंचायत सचिवालय अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत में कुल 4 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को संगठित रूप से और अधिक शक्तिशाली एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री पंचायत राज स्वशासन विकास परिषद् का गठन किया जाएगा।
- जिला परिषदों को प्रकाश व्यवस्था (एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट), खुले में शौच से मुक्त कराने हेतु स्वच्छता से संबंधित योजनाएँ, शुद्ध पेयजल हेतु पाईप द्वारा जलापूर्त्ति तथा आय श्रोत में वृद्धि हेतु योजनाएँ लेने हेतु 100 करोड़ रूपये का बजटीय उपबंध।
- वित्तीय प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विचार एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु राज्य में Center for Fiscal Studies की स्थापना की जायेगी। यह सेन्टर राज्य सरकार के आंतरिक संसाधन में वृद्धि तथा अनावश्यक व्यय में कटौती हेतु दीर्घकालीन तथा तात्कालिक, दोनों स्तर के सुझाव देगा।
- राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मियों के लिए केन्द्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के समरूप अनुशंसाओं को 01.01.2016 के प्रभाव से लागू किया गया है, जिसके फलस्वरूप वेतन तथा पेंशन मद में लगभग 2,500 करोड़ की अतिरिक्त राशि के व्यय की संभावना है। जहाँ एक ओर राज्य सरकार अपने कर्मियों को केन्द्र सरकार के समान वेतन दे रही है, वहीं सरकार की यह भी अपेक्षा है कि सरकारी कर्मी सेवाभाव से काम करें, जिसमें जनहित तथा जनता की सेवा सर्वोपरि रहे। सभी स्तर के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलायेगी। साथ ही, मानव संसाधन के बेहतर उपयोग हेतु अलग–अलग विभागों की Human Resourse Study भी सम्पन्न करायी जाएगी।
- Digital Payment Transaction (कैशलेस) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पाँच हजार रूपये तक के मोबाईल सेट, e-POS मशीन पर वाणिज्य कर में छूट 31 मार्च, 2017 तक दी गई है। इसका विस्तार अगले वित्तीय वर्ष 2017–18 में GST (Goods and Services-Tax) लागू होने तक किया जायेगा।
- राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में पाँच हजार रूपये से अधिक के लेन–देन को एक कार्य योजना बनाकर Digital (कैशलेस) पद्धति से करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही, जो पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला Digital Payment अभियान में अच्छा कार्य करते हैं, उन्हें पुरस्कृत भी किया जायेगा, जिसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

- राजस्व अभिलेखों का डिजिटाईजेशन, ऑनलाईन म्यूटेशन तथा ऑनलाईन लगान वसूली हेतु अपर समाहर्त्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं, जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों, अंचल निरीक्षकों एवं सभी राजस्व कर्मचारियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष सभी मानकी, मुण्डा एवं ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण देते हुए उन्हें भी टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा।
- खासमहल भूमि की लीज बन्दोबस्ती / लीज नवीकरण हेतु सलामी एवं लीज रेंट से संबंधित नीति में संशोधन किया गया है। इससे न केवल खासमहल के लीजधारकों को नवीकरण में सुविधा होगी, बल्कि राज्य के राजस्व प्राप्ति में वृद्धि होगी।
- आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट के अनुमानित व्यय FRBM Act के निर्धारित सीमा के अन्दर रहेंगे।